BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

O.A. NO. 654 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा , सोते रहे अफसर ; तीन साऱ से बन रहा है ररसॉटट " appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	**Response on behalf of Respondent No.4 i.e., District Magistrate, Agra in compliance of the order dated 31.05.2024.**	**1-13**
2.	**ANNEXURE R1:** True Copy of the letter dated 16.08.2024 by District Magistrate, Agra	**14**
3.	**AANEXURE R2:** True copy of the letter no. 5489/ST dated 02.09.2024 by Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Bah	**15-16**
4.	**ANNEXURE R3:** True copy of the letter no. 634/ST dated 21.08.2024 by Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Fatehabad	**17**
5.	**ANNEXURE R4:** True copy of letter no. 779/14-1 dated 12.08.2024 by Divisional Forest Officer	**18**

6.	**<u>ANNEXURE R5:</u>** True copy of the letter no. 4410/Lower/NGT dated 02.09.2024 by the Executive Engineer Lower Khand Agra Canal, Agra	**19**
7.	**<u>ANNEXURE R6:</u>** True copy of the letter no. 158330/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTE/AGRA/2022 dated 25.06.2022 by the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra	**20-23**
8.	**<u>ANNEXURE R7:</u>** True copy of the letter no. 45/Anubhag-02(2567)/Manchitra/2023-24 dated 10.04.2023 by Office of the Jila Panchayat, Agra	**24-27**
9.	**<u>ANNEXURE R8:</u>** True copy of the letter no. 465/L-270/2024 dated 09.08.2024 by the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra	**28**
10.	**<u>ANNEXURE R9:</u>** True copy of the letter no. 4064/Lower/NGT dated 12.08.2024 by the Executive Engineer, Lower Khand, Agra Canal, Agra	**29**
11.	**<u>ANNEXURE R10:</u>** True copy of the letter no. 466/L-270/2024 dated 09.08.2024 the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra	**30**
12.	**<u>ANNEXURE R11:</u>** True copy of the letter no. 578/14-1 dated 12.08.2024 by the Divisional Forest Officer, Agra	**31-32**

FILED THROUGH : -

DATE: 13.09.2024
PLACE: New Delhi

Bhanwar Pal Singh Jadon
Standing Counsel, State of UP
National Green Tribunal, New Delhi
bhanwar09jadon@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

O.A. NO. 654 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा , सोते रहे अफसर ; तीन साऱ से बन रहा है ररसॉटट " appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024

Response on behalf of Respondent No.4 i.e., District Magistrate, Agra in compliance of the order dated 31.05.2024.

1. That this Original Application has been registered *suo moto* on the basis of the news item titled “यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर; तीन साऱ से बन रहा है ररसॉटट" appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024. That this Original Application pertains and highlights the developments that have taken place in the floodplain zone of the river Utangan.

2. That the news item relates to illegal encroachments on the Utangan river passing through Fatehabad in Agra. As per the news

item, the work of building a resort has been going on for three years near the Utangan river passing through Fatehabad, Agra. About a year ago, a permanent bridge was built illegally on the river. The road was encroached upon and a gate was put on it. It alleges that the water has been stopped by constructing a permanent bridge on the Utangan River on the resort owner side. It alleges that the resort is being built in the submerged area of Bah tehsil. At the same time, a road has also been made through the forest. A paved road was built and a big gate was also installed before the river. Local people say that 7 years ago a concrete road was built through the forest and Forest Department did not take any action.

3. That the Hon'ble Tribunal Impleaded District Magistrate, Agra as one of the respondents in the above matter and directed for filing the response at least one week before the next date of hearing. That the operative part of the last order dated 31.05.2024 is given below:

   "5. Hence, we implead the following as respondents in the matter: -

   (iv) District Magistrate, Agra, Mahatma Gandhi Rd, near Sai ki Takiya Crossing, Mohanpura, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282010, Phone No: 9454417509E-mail: dmar@nic.in

6. Notice be issued to Respondents for filing the response at least one week before the next date of hearing."

4. It is germane to mention here that in compliance of the above directions of the last order dated 31.05.2024, the Additional District Magistrate(E), Agra has been nominated as a representative for taking further action and has also been designated for filing the response in the Hon'ble National Green Tribunal by letter dated 16.08.2024.

   True Copy of the letter dated 16.08.2024 by District Magistrate, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R1**.

5. That the direction has been given to Sub Divisional Magistrate (SDM), Tehsil-Bah and Sub-Divisional Magistrate (SDM), Tehsil Fatehabad, Agra to put-up the factual status and Action Taken Report in the matter. Sub Divisional Magistrate (SDM), Tehsil-Bah vide letter no. 5489/ST dated 02.09.2024 submitted report to Additional District Magistrate(E) and Sub-Divisional Magistrate (SDM), Tehsil-Fatehabad, District Agra vide letter no. 634/ST dated 21.08.2024 submitted report to Additional District Magistrate(E).

   True copy of the letter no. 5489/ST dated 02.09.2024 by Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Bah has been annexed herein as **ANNEXURE R2.**

True copy of the letter no. 634/ST dated 21.08.2024 by Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Fatehabad has been annexed herein as **ANNEXURE R3.**

6. It is submitted here that as per the report given by the S.D.M. Tehsil-Bah the following observations are presented below for the consideration of this Hon'ble Tribunal:

   - **Identification of the River and Relevant Tehsils:** As per the letter dated 02.09.2024 from the Sub-Divisional Magistrate (SDM), Tehsil Bah, Agra, the Utangan River lies between the borders of Tehsil Fatehabad and Tehsil Bah, District Agra. Tehsil Fatehabad is located to the north of the Utangan River, and Tehsil Bah is situated to its south.
   - **Revenue Record of Gata Nos. in Village Arnota:** In the revenue records of village Arnota, Tehsil Bah, Gata No. 01, with a rakva (area) of 0.542 hectares, is registered as belonging to the Utangan River. Gata No. 39, with a rakva of 10.1050 hectares, is registered in the name of the Forest Department. Other than Gata No. 01, no other gata in revenue village Arnota is registered in the name of the river.
   - **Construction by M/s Kanha Infra Estates Pvt. Ltd.:** The property under construction by M/s Kanha Infra Estates Pvt. Ltd. spans Gata Nos. 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, and 990Ka, with a total area (rakva) of 4.643 hectares

across 10 gatas. The land was declared non-agricultural under Section 80 of the Uttar Pradesh Revenue Court Act, 2006, vide order dated 28.02.2020 in Case No. T20200101060635 (Smt. Ruchi Tiwari vs Uttar Pradesh Government).

- **Flow of the River:** A resort is being constructed on the said gatas by the owner. Gata No. 990Ka, with an area of 0.714 hectares, is located near Gata No. 39, registered in the name of the Forest Department, marking the boundary of revenue village Arnota, Tehsil Bah. Beyond this, Gata No. 1011, with an area of 3.803 hectares, is recorded as belonging to the river in village Khander, Tehsil Fatehabad.
- **Current River Flow and Bridge Demolition:** Presently, the Utangan River flows through significant portions of Gata Nos. 39 and 990 in village Arnota, as well as in its original location. A concrete bridge, constructed on the Utangan River by M/s Kanha Infra Estates Pvt. Ltd., was demolished following an inquiry into complaints, which found the construction to be irregular.
- **Proximity of Construction to the River:** The resort being constructed by M/s Kanha Infra Estates Pvt. Ltd. is situated on Gata Nos. 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, and 990Ka in Tehsil Bah, District Agra. Among these gatas, Gata Nos. 982 and 990Ka are situated on the southern bank of the Utangan River. As of the current situation, the river does not

flow in its original location at Gata No. 1011 in Mauza Khander, Tehsil Fatehabad, but flows through Gata Nos. 39 and 990 in village Arnota.

- **Proximity of Construction to River Banks:** The nearest distance between the last cottage constructed on Gata No. 982 (village Arnota) and the river, as it currently flows, is 23 meters. However, as per revenue records, the nearest distance between the last cottage on Gata No. 982 (village Arnota) and Gata No. 1011 (village Khander), which is registered as part of the river, is 100 meters.
- **Nature of the Utangan River:** The Utangan River is a seasonal (rain-fed) river, and its flow is largely dependent on local rainfall patterns.

7. It is pertinent to submit here that as per the findings of the Divisional Forest Officer, Agra, M/s Kanha Infra Estate Pvt. Ltd. has not constructed any kind of paved/concrete road inside the forest land. That the above information was communicated by the Divisional Forest Officer vide letter no. 779/14-1 dated 12.08.2024 to the Sub-Divisional Magistrate, Tehsil-Bah.

   True copy of letter no. 779/14-1 dated 12.08.2024 by Divisional Forest Officer has been annexed herein as **ANNEXURE R4.**

8. It is also important to submit here that the Executive Engineer Lower Khand Agra Canal, Agra vide letter no. 4410/Lower/NGT dated 02.09.2024 has informed that flood plain zone of Utangan river falling in district Agra has not been identified.

   True copy of the letter no. 4410/Lower/NGT dated 02.09.2024 by the Executive Engineer Lower Khand Agra Canal, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R5.**

9. It is again important to submit here that the information provided below has been taken from the report given by the S.D.M., Tehsil-Fatehabad:

- **Location of the Utangan River:** As per the letter dated 21.08.2024 from the Sub-Divisional Magistrate (SDM), Tehsil Fatehabad, Agra, the Utangan River is situated along the border of Tehsil Fatehabad and Tehsil Bah, District Agra.
- **Construction of Resort by Shri Kanha Infra Estates Private Limited:** A resort is under construction by Shri Kanha Infra Estates Private Limited in village Arnota, Tehsil Bah, District Agra, on the southern side of the Utangan River. The construction has been ongoing for several years. The developer also owns private land located within the border of Tehsil Fatehabad, on the opposite side of the river.
- **Existence of an Old Road and Culvert:** An old road, in existence for several years, passes through the developer's private land

located in Tehsil Fatehabad and leads to the Utangan River. An old pre-constructed culvert (rapta) exists on the Utangan River, connecting the Fatehabad side with the border of Tehsil Bah.

- **Expansion and Strengthening of the Culvert:** A few years ago, the developer expanded and restrengthened the pre-existing culvert (rapta) on the river. Additionally, the developer constructed a gate on his private land along the road leading towards the bridge.
- **Lack of NOC and Subsequent Action by Authorities:** The developer did not obtain a No Objection Certificate (NOC) from any relevant department prior to the expansion and resurfacing of the culvert or the installation of the gate. Upon becoming aware of this unauthorized construction, the bridge constructed by the developer on the Utangan River was also completely demolished by the Administration and the gate was removed by the developer himself.
- **Location of the Resort:** It is pertinent to note that the resort being developed by Shri Kanha Infra Estates Private Limited is entirely located within the boundary of Tehsil Bah, District Agra.

10. It is germane to mention here that the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra vide letter no. 158330/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTE/AGRA/2022 dated 25.06.2022 had granted permission/given consent to M/s Shree

Kanha Infra Estate Pvt Ltd for the construction of a resort having the capacity of 51 rooms (Built-Up area of 6183 sq. meters).

True copy of the letter no. 158330/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTE/AGRA/2022 dated 25.06.2022 by the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R6.**

11. It is also submitted that Office of the Jila Panchayat, Agra vide letter no. 45/Anubhag-02(2567)/Manchitra/2023-24 dated 10.04.2023 approved the map of resort "Amiya Agra" Gata No. 978, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987 & 990ka, Mauja-Arnota, Tehsil- Bah, District-Agra.

    True copy of the letter no. 45/Anubhag-02(2567)/Manchitra/2023-24 dated 10.04.2023 by Office of the Jila Panchayat, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R7.**

12. It is important to mention here that vide letter no. 465/L-270/2024 dated 09.08.2024 the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra has written to Executive Engineer, Lower Khand, Agra Canal, Agra to verify whether the resort is being constructed in the flood plain zone of Utangan River or not. That in reply to the above letter the Executive Engineer, Lower Khand, Agra Canal, Agra informed vide letter no. 4064/Lower/NGT

dated 12.08.2024 that the flood plain zone of Utangan River has not been identified.

True copy of the letter no. 465/L-270/2024 dated 09.08.2024 by the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R8.**

True copy of the letter no. 4064/Lower/NGT dated 12.08.2024 by the Executive Engineer, Lower Khand, Agra Canal, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R9.**

13. That vide letter no. 466/L-270/2024 dated 09.08.2024 the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra asked Divisional Forest Officer, Agra on dated 09.08.2024 to verify whether a concrete road has been constructed in the forest land about 7 years ago or presently in village Arnota, Tehsil-Bah. That Divisional Forest Officer, Agra vide its letter no. 578/14-1 dated 12.08.2024 informed that in the matter, joint demarcation work was done by the Forest Department & Revenue Department. It was also informed by the Regional Forest Officer, Fatehabad Range, that on the spot an unpaved road passes through the forest land, which has been used by the farmers for agriculture and there is no concrete road constructed, at present the road is unpaved.

True copy of the letter no. 466/L-270/2024 dated 09.08.2024 the Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R10.**

True copy of the letter no. 578/14-1 dated 12.08.2024 by the Divisional Forest Officer, Agra has been annexed herein as **ANNEXURE R11.**

14. It is now submitted with utmost regard and humility for this Hon'ble Tribunal that certain information was gathered and analysed from the two reports by the S.D.M., Tehsil-Bah and S.D.M., Tehsil-Fatehabad separately which have been annexed in this response and from the various letters sent and received by the concerned departments. That from such data provided and annexed in this report the following observations have been made:

I. No encroachment is reported in the report submitted by Sub Divisional Magistrate (S.D.M.), Tehsils- Bah and Fatehabad.

II. Sub Divisional Magistrate (SDM), Bah vide its letter dated 02.09.2024 informed that at present Utangan river is not flowing in its place at gata no. 1011 mauza-Khander, Tehsil-Fatehabad but flowing in gata no.39 and 990 of village Arnota from where nearest distance of last cottage built in gata no. 982 in the direction of the river is 23Meter.

Whereas as per the records the nearest distance of the last cottage built in gata no. 982 (Village-Arnota) is 100 Meters from the gata no. 1011 (Village-Khander) which is registered in river in the direction of the river. As Utangan river is a rainy river, the flow of river depends largely on the local rainfall.

III. Sub Divisional Magistrate (SDM), Fatehabad vide its letter dated 21.08.2024 reported that a pre-constructed old culvert (rapta) on the river from Fatehabad side to the border of tehsil Bah was expended and restrengthened by the developer few years ago. The gate was placed on the developers own land which was removed by District Administration and completely demolished the bridge constructed on the river.

IV. Executive Engineer lower khand Agra canal, Agra vide letter no. 4410/lower/NGT dated 02.09.2024 informed that flood plain zone of Utangan river falling in district Agra has not been identified.

V. Divisional Forest Officer, Agra vide its letter dated 12.08.2024 informed that M/s Kanha Infra Estate Pvt. Ltd. has not constructed any kind of paved/concrete road inside the forest land.

15. It is apposite to submit before this Hon'ble Tribunal that this matter was taken into sincere and due consideration for complying with the last order dated 31.05.2024 and necessary inspections were done and actions were taken. It is submitted that the undersigned is duty bound to fulfil the obligations which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal to comply in true letter and spirit.

16. That the present Response has been filed by the undersigned for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

Filed by

Additional District Magistrate(E), Agra

A-1

ANNEXURE R1

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–654/2024 (News Item Titled " यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा है रिसार्ट" appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 का अवलोकन करना चाहें। अवगत कराना है कि मै0 श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0लि0 "अमिय आगरा" द्वारा गाटा संख्या–978, 979,981,982,983, 984,985,986,987 व 990क ग्राम–अरनौटा, मौजा–गुजरा रामजस, तहसील–बाह, आगरा में रिसार्ट का निर्माण किया जा रहा है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित खबर दिनांक 02.05.2024 का स्वतः संज्ञान लेते हुये दिनांक 31.05.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:–

"1. This original application is registered *suo moto* on the basis of the news item titled "यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर; तीन साल से बन रहा है ररसॉटट " appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024.

2. The news item relates to illegal encroachments on the Utangan river passing through Fatehabad in Agra. As per the news item, the work of building a resort has been going on for three years near the Utangan river passing through Fatehabad, Agra. About a year ago, a permanent bridge was built illegally on the river. The road was encroached upon and a gate was put on it. It alleges that the water has been stopped by constructing a permanent bridge on the Utangan River on the resort owner side. It alleges that the resort is being built in the submerged area of Bah tehsil. At the same time, a road has also been made through the forest. A paved road was built and a big gate was also installed before the river. Local people say that 7 years ago a concrete road was built through the forest and Forest Department did not take any action.

3. New item raises substantial issue relating to violation of the provisions of the Water (conservation and Protection) Act, 1974 and Environment Protection Act, 1986.

4. Power of the Tribunal to take up the matter in *suo-moto* exercise of power has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of *"Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.*

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter:-

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010 Phone No: +91-522-2720831 E-mail:grievance@uppcb.com;

(ii) Central Pollution Control Board, through its Member Secretary Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 Phone No: 011-43102030E-mail: mscb.cpcb@nic.in;

(iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Lucknow, through its Deputy Director General Integrated Regional Office Kendriya Bhawan, Aliganj, Lucknow – 226020,5th Floor, Sector 'H', Uttar Pradesh, India, Phone No: +91-9412703130, E-mail: rocz.lko-mef@nic.in;

(iv) District Magistrate, Agra, Mahatma Gandhi Rd, near Sai ki Takiya Crossing, Mohanpura, Rakabganj, Agra, Uttar Pradesh 282010,Phone No: 9454417509E-mail: dmar@nic.in

6. Notice be issued to Respondents for filing the response at least one week before the next date of hearing.

7. Office is directed to serve the respondents.

8. List on 18.09.2024. "

अतः उपरोक्त पारित आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में रेसपॉन्स दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिनिधि नामित करना चाहें।

11/08/24

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

ADM (नामित)

16/08/24

जिलाधिकारी
आगरा

जिलाधिकारी,
आगरा।

Office of The Sub Divisional Magistrate Bah, Agra
कार्यालय उप जिलाधिकारी,बाह आगरा

संख्या 5489 /एस0टी0 दिनांकः 02 सितम्बर 2024

विषयः— ओ0ए0 संख्या 654/2024 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 07 जून 2024 के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
आगरा।
महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित समाचर यू0पी0 उटगंन नदी पर होता रहा कब्जा, सोते रहे अफसर तीन साल से बन रहा था रिसॉर्ट का स्वयं संज्ञान लेते हुये माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस प्रकरण को ओ0ए0 संख्या 654/2024 के रूप में दर्ज किया गया है तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा जिलाधिकारी आगरा को पक्षकार बनाया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 07/06/2024 को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर सुनवाई की आगामी तिथि से पूर्व अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये है। सुनवाई की आगामी तिथि 18/09/2024 नियत है।

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा उक्त समाचार में प्रकाशित किया गया है कि आगरा की तहसील बाह से गुजर रही उटगंन नदी के पास 3 साल से रिसॉर्ट बनाने का काम चल रहा है। करीब 1 साल पहले नदी पर अवैध रूप से पक्का पुल तक बना दिया गया है। रास्ते पर अतिक्रमण कर उस पर गेट लगा दिया गया है। आमजन को नदी की तरफ जाने से रोक दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण तहसील फतेहाबाद व तहसील बाह जनपद आगरा की सीमा के मध्य उटगंन नदी स्थित है। उटगंन नदी के उत्तर दिशा में तहसील फतेहाबाद तथा दक्षिण दिशा में तहसील बाह स्थित है। तहसील बाह के राजस्व ग्राम अरनौटा के भू-चित्र के अनुसार गाटा संख्या **1** रकवा **0.542** दर्ज नदी व गाटा संख्या **39** रकवा **10.1050** वन विभाग के नाम दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या 1 के अतिरिक्त राजस्व ग्राम अरनौटा में अन्य कोई गाटा संख्या नदी के नाम दर्ज नही है।

प्रश्नगत प्रकरण जिस स्थल पर श्री कान्हा इन्फ्रा एस्टेट्स प्रा0लि0 द्वारा तहसील बाह जनपद आगरा स्थित गाटा संख्या 978,979,981,982,983,984,985,986,987 व 990 क कुल किता 10 रकवा 4.643 हैक्टेयर पर निर्माण कराया जा रहा है। वाद संख्या T20200101060635 श्रीमती रूचि तिवारी बनाम उ0प्र0 सरकार अन्तर्गत धारा-80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में उक्त कृषि भूमि 4.643 हैक्टेयर दिनांक 28/02/2020 को अकृषिक घोषित करा ली गई है। उक्त गाटाओं पर स्वामी द्वारा रिसॉर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। गाटा संख्या 990क रकवा 0.714 हैक्टेयर के बाद उत्तर दिशा में गाटा संख्या 39 दर्ज कागजात वन विभाग तक राजस्व ग्राम अरनौटा तहसील बाह की सीमा समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात गाटा संख्या 1011 रकवा 3.803 दर्ज नदी ग्राम खण्डेर तहसील फतेहाबाद में स्थित है। वर्तमान की स्थिति में नदी अपने मूल स्थान से पृथक होकर तहसील बाह के राजस्व ग्राम अरनौटा स्थित गाटा संख्या 39 व 990 के अधिकांश भाग में प्रवाहित है। कान्हा इन्फ्रा एस्टेट्स प्रा0लि0 द्वारा आगमन हेतु उटगंन नदी पर बनाये गये पक्के पुल को शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच में अनियमितता पाये जाने पर पूर्व में ध्वस्त किया जा चुका है।

श्री कान्हा इन्फ्रा एस्टेटस प्रा0लि0 द्वारा तहसील बाह जनपद आगरा स्थित गाटा संख्या 978,979,981,982,983,984,985,986,987 व 990क कुल किता 10 रकबा 4.643 हैक्टेयर पर अ[illegible] आगरा नामक रिसॉर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त गाटाओं में से गाटा संख्या 982 [illegible] 990क उटंगन नदी के दक्षिण किनारे स्थित है। गाटा संख्या 990 के अधिकांश भाग पर वर्तमान में उटंगन नदी प्रवाहित है। उटगंन नदी अपने स्थान गाटा संख्या 1011 मौजा खण्डेर तहसील फतेहाबाद में प्रवाहित न होकर वर्तमान में ग्राम अरनौटा के गाटा संख्या 39, 990 में प्रवाहित होने के कारण वर्तमान में प्रवाह से गाटा संख्या 982 में निर्मित निकटतम कॉटेज की स्थलीय दूरी 23 मीटर है जबकि अभिलेखीय में नदी दर्ज गाटा संख्या 1011 (ग्राम खण्डेर) से गाटा संख्या 982 (ग्राम अरनौटा) में निर्मित निकटतम कॉटेज की दूरी 100 मीटर है। चूंकि उटंगन नदी एक वर्षाती नदी है तथा नदी का प्रवाह अधिकाशतः स्थानीय वर्षा पर निर्भर रहता है इसलिये वर्षा ऋतु में इसके जलस्तर में वृद्धि हो जाती है।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,आगरा के पत्र संख्या 779 / 14–1 दिनांक 12 / 08 / 2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कान्हा इन्फ्रा एस्टेटस प्रा0लि0 द्वारा वन भूमि के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई पक्का / कंक्रीट रास्ता का निर्माण नही है। **प्रति संलग्न है।**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोअर खण्ड आगरा नहर आगरा के पत्र संख्या 4410 / ओआर / एनजीटी दिनांक 01 / 09 / 2024 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि जनपद आगरा में पड़ने वाली उटंगन नदी का डूब क्षेत्र निर्धारित नही है। **प्रति संलग्न है।**

अतः उपरोक्तानुसार संलग्न करते हुये आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

राजस्व निरीक्षक	नायब तहसीलदार,बाह	तहसीलदार,बाह

उपजिलाधिकारी,बाह
(आगरा)

ANNEXURE R3

A-3 Awdesh 30|08|24

23 17

Office of The Sub Divisional Magistrate Fatehabad,
कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट फतेहाबाद जनपद आगरा

पत्रांक 634/एस0टी0 दिनांक :- 21 अगस्त 2024

विषय :- ओ0ए0 संख्या 654/2024 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 07 जून 2024 के सम्बन्ध में।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
आगरा ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित समाचार "यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा है रिसॉर्ट" का संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इस प्रकरण को ओ0ए0 संख्या 654/2024 के रूप में दर्ज किया गया है तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा जिलाधिकारी आगरा को पक्षकार बनाया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 07 जून 2024 को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर सुनवाई की आगामी तिथि से पूर्व अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये हैं। सुनवाई की आगामी तिथि दिनांक 18 सितम्बर 2024 है। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 31.05.2024, नोटिस दिनांक 07.06.2024 तथा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित समाचार की कटिंग की छायाप्रतियाँ संलग्न हैं।

दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा उक्त समाचार में प्रकाशित किया गया है कि आगरा के फतेहाबाद से गुजर रही उटंगन नदी के पास 3 साल से रिसॉर्ट बनाने का काम चल रहा है। करीब एक साल पहले नदी पर अवैध रूप से पक्का पुल तक बना दिया गया है। रास्ते पर अतिक्रमण कर उस पर गेट लगा दिया गया है। आमजन को नदी की तरफ जाने से रोक दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील फतेहाबाद एवं तहसील बाह की सीमा के मध्य उटंगन नदी स्थित हैं। इस नदी के दूसरी तरफ तहसील बाह की सीमा में ग्राम अरनौटा, तहसील बाह की भूमि में श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक विकासकर्ता द्वारा कई वर्षों से एक रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नदी से फतेहाबाद की ओर तहसील फतेहाबाद की सीमा में भी उक्त विकासकर्ता की निजी भूमि स्थित है, जिसमें से होकर उटंगन नदी तक एक काफी पुराना पूर्व निर्मित रास्ता चल रहा है। नदी पार करके रिसॉर्ट तक जाने के लिये उपरोक्त विकासकर्ता द्वारा कई वर्ष पूर्व फतेहाबाद की ओर से नदी के पार तहसील बाह की सीमा तक नदी पर पूर्व से निर्मित रपटे का पुल के रूप में विस्तार और सुदृढीकरण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त पुल की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी निजी भूमि में एक गेट का निर्माण भी कर लिया गया था। पुल के विस्तार और सुदृढीकरण एवं रास्ते पर गेट लगाने के सम्बन्ध में उक्त विकासकर्ता द्वारा किसी विभाग की अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी थी। इस तथ्य के संज्ञान में आने पर जिला प्रशासन आगरा द्वारा उक्त गेट हटवाने के साथ-साथ नदी पर बनाये गये पुल को पूर्ण रूप से ध्वस्त करा दिया गया है। मौके के फोटोग्राफ भी संलग्न है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत रिसॉर्ट पूर्ण रूप से तहसील बाह की सीमा में स्थित है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।
संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(आशीष कुमार त्रिपाठी)
तहसीलदार
फतेहाबाद, आगरा
21|08|24

21|8|2024
(अनिल कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी
फतेहाबाद, आगरा

15089/C
RO(PCB)
27/8/24

A80
27/9/24

A-4

ANNEXURE R4

24

18

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(पता- ताजमहल पूर्वी गेट, ताजगंज, आगरा Email : dfoagra@gmail.com Ph. No/Fax- 2-233125

पत्रांक 779/114-1 आगरा : दिनांक: 2, 2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
तहसील– बाह
जिला–आगरा।

विषय:– तहसील– बाह के अन्तर्गत उटंगन नदी के किनारे ग्राम – गुर्जा, रामजरा में श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 द्वारा किये जा रहे रिसोर्ट के निर्माण के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में आप से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल/रिसोर्ट के समीप बीहड़ स्वरूप (वन भूमि) के सीमा निर्धारण हेतु दिनांक 11.06.2024 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सीमांकन का कार्य किया गया था। चूँकि उक्त सीमांकन के दौरान श्री उमेश तिवारी, निदेशक, श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 मौकें पर उपस्थित नहीं थे जिस कारण उनके द्वारा की गई प्रार्थना के क्रम में दिनांक 02.08.2024 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा श्री उमेश तिवारी, निदेशक, श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 की उपस्थिति में पुनः संयुक्त सीमाकन की कार्यवाही की गई, तथा रिसोर्ट से लगी हुई वन भूमि/बीहड़ भूमि की सीमा को चिन्हित कर वन भूमि सुरक्षित किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय वन अधिकारी, पिनाहट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.05.2024 को अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि तहसील–फतेहाबाद के अन्तर्गत आमजन/ग्रामीणों द्वारा उटगंन नदी की ओर जाने हेतु कई वर्षो से वन भूमि से गुजरने वाले कच्चे मार्ग का प्रयोग किया जाता रहा है, वर्तमान में राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा किये गये संयुक्त सर्वे सीमांकन दिनांक 24.06.2024, 26.06.2024 एवं 27.06.2024 के क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार वन भूमि के अन्दर किसी भी प्रकार का कोई भी पक्का/कंक्रीट रास्ता का निर्माण नहीं है।

अतः आख्या सूचनार्थ प्रेषित है।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

मेल आ डी०-
eeldacagra gmail.

पत्रांक:- 4410 /लोअर/NGT

दिनांक:- 02.09.2024

विषय:-ओ0ए0 नं0-654/2024 में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक-07 जून, 2024 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक-5488/एस0टी0, दिनांक-01.09.2024।

उप जिलाधिकारी, बाह, आगरा।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, विषयगत प्रकरण में चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आगरा में पड़ने वाली उटंगन नदी का डूब क्षेत्र निर्धारित नहीं है। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-3973/लोअर/NGT, दिनांक-07.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा पूर्व में भी आपको अवगत कराया जा चुका है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांक:- /लोअर/NGT/तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

Puneet D/M

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :10/06/2022 To 09/06/2027

Ref No. - 158330/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTE/AGRA/2022 **Dated:- 25/06/2022**

To ,

Shri UMESH TIWARI
M/s SHREE KANHA INFRAESTATES PVT LTD
"AMIYA AGRA" - VILL. ARNOTA, MAUJA - GURJA RAMJAS, TEHSIL - BAH, FATEHABAD - BAH ROAD, AGRA,AGRA,283111
AGRA

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 16710047 dated - 10/06/2022. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates : -

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	**Raw Material Unit Name**	**Raw Material Quantity**
NA	Numbers/Day	

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	**Product Quantity**
RESORT (51 COTTAGES / ROOMS)	51

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	**Unit Name**	**Licence Product Capacity**	**Install Product Capacity**
NA	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	**Name of Source**	**Quantity (KL/D)**
Ground Water (within premises)	Submersible	83.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	**Quantity (KL/D)**
Domestic	100.0
Others(Plantation)	75.0
Domestic	60.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	**Consumption(tpd/kld)**	**Use**
Others	0.2	HSD / AS PER CPCB NORMS - USE FOR D.G. SET

5 For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 09/06/2027 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution)Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application,complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 may be initiated against the industry With out any prior information,in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

1.This Consent to Establish is being granted to SHREE KANHA INFRAESTATES PVT LTD for its unit for establishment of an RESORT (51 COTTAGES / ROOMS) "AMIYA AGRA" - VILL. ARNOTA, MAUJA - GURJA RAMJAS, TEHSIL - BAH, FATEHABAD - BAH ROAD, AGRA for RESORT (51 COTTAGES / ROOMS). This Consent to Establish will be void if there is any change in above mentioned address or product.
2.This consent is valid only for ZLD (Zero Liquid Discharge). In case the discharge exceeds the proponent has to obtain fresh CTO from UPPCB.
3.No water and air pollution source will be added/ installed by the unit without prior permission from State Pollution Control Board.
4.Domestic effluent generated from the project should be treated by STP of 80 KLD capacity installed in the project. The untreated effluent should not be discharge by the project in any case.
5.The municipal solid waste generated from the project should be disposed of as per MSW rules. Organic converter machine should be installed by the project.
6.For extraction of ground water, permission should be obtained from the State Ground Water Department in compliance of SGWA notification/Uttar Pradesh Ground water (Management and Regulation) Act 2019 and submitted in this office within three months.
7.The Unit shall develop proper green belt and rain water harvesting system as per guidelines. For green belt at least 8 feet height plants should be planted which shall be properly protected as proper irrigation and manoeuvring arrangements shall be made. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt. 16-02-2018 shall be complied.
8.The project proponent shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEf&CC i.e. Plastic Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, E-waste (Management) Rules, 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
9.The project proponent shall submit annual returns as per above mentioned rules. Also, Environmental Statement in prescribed form as per Rule 14 of Environment (Protection) Act, 1986.
10.The project proponent shall make rain water harvesting on the premises as per map approved by concerned Authority. Pre-monsoon and Post- monsoon maintenance of rain water harvesting pit shall be done annually.
11.The project proponent shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
12.The consent to establish is being granted as per the direction of Hon'ble Supreme Court in I.A. No.-42482/2020 in W.P. (C) 13381/84 M.C. Mehta V/s Union of India & others order dt. 08.12.2021. The project proponent has to comply with the direction given time to time by Hon'ble Court/TTZ Authority/State Pollution Control Board.
13. As per the ACS, MoEF, CC Section-7 letter no.-1011/81-7-2021-09/Writ/2016 dt. 13.02.2021 Green Belt should be developed on the basis of Miyawaki Technique SOPs regarding Miyawaki Plantation is available on www.up.ecp.in/ training session aspx.

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance ot any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 25/07/2022 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

VISHWANATH SHARMA
Digitally signed by VISHWANATH SHARMA
Date: 2022.06.25 14:08:21 +05'30'

REGIONAL OFFICER (I/C)

Dated:- 25/06/2022

Copy To -

CEO-4, U P POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW.

VISHWANATH SHARMA Digitally signed by VISHWANATH SHARMA Date: [illegible]
REGIONAL OFFICER (I/C)

ANNEXURE R7

A-7

30

24

आदेश

संख्या–526 / इक्कीस–1(1) / वि0सहा0 / 2019–20–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (1) एवं 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत,आगरा ने जिला–आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले व्यवसायिक भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित करने विषयक उपविधियाँ अन्तर्गत कार्यालय में श्री [illegible] इन्फ्रा एस्टेट प्रा0लि0 के निदेशक श्री [illegible] तिवारी पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी–ए.25 एल.आई.जी. न्यू कॉलोनी मीना बाजार के पास शाहगंज जिला–आगरा [illegible] –282010 ने दिनांक–27.03.2023 प्रार्थना पत्र के द्वारा आवेदन किया गया है। जिला पंचायत, आगरा के पत्र संख्या –34 / अनुभाग–02(2567) / मानचित्र / 2023–24, दिनांक–06.04.2023 का अवलोकन करना है, जिसमें [illegible] ग्राम अरनौटा तहसील–[illegible] ' अमिय' आगरा पता–गाटा संख्या–978, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987 एवं 990 क मौजा अरनौटा तहसील–सदर जिला–आगरा पर रिसोर्ट का मानचित्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में शुल्क रू0 625000.00 (छः लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा के पक्ष में दिये जाने की मांग की गई थी। फलस्वरूप आप द्वारा दिनांक–07.04.2023 रू0 625000.00 के द्वारा जिला पंचायत के पक्ष में जमा करा दिये गये हैं।

ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्रों के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा / खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नहीं है, और किसी निजि भूमि पर, संस्था की भूमि पर अथवा किराये की भूमि पर जिला पंचायत, आगरा से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो व्यवसायिक भवन निर्माण कर सकता है और न ही पुराने भवन में फेर–बदल कर सकता है। प्रस्तावित मानचित्र निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति से प्रदान की जाती है।

1. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग / भू–अर्जन / नजूल / ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. संकटमय भवन का निर्माण नहीं होगा जिसके अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे–2 कणो में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रकिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हतु स्वीकृत कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता / अवर अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा जाच की जा सके।
5. कार्य स्थल पर होने वाले कार्यों को जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. भवन निर्माण / विकास कार्य समाप्त होने के उपरान्त सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जिला पंचायत से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात ही भवन उपयोग में लाया जायेगा।
7. यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन,अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

8. उपविधियो के अनुसार, जिला पचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उप धारा का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compoundig Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम् 50 प्रतिशत होगा। समझौता शुल्क (Compoundig Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा–248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

9. सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णताः प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

10. स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के0वी0 की लाईन के लिए केरिज व छोड़ दिया जाना चाहिये। लो एवं माध्यम वोल्टेज विद्युत लाइन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम उर्ध्वाधर/क्षैतिज कमशः 2.50 मी0 एवं 1.20 मी0 हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम दूरी उर्ध्वाधर/क्षैतिज कमशः 3.70 मी0 एवं 2 मीटर होगी।

11. निर्माण करते समय सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।

12. उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि, इस प्रकार स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

14. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न रखें।

15. पार्कों तथा खुले स्थान मे मानको के अनुसार ऐसे पेड पोधो का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे–भरे रह सकें। पार्किंग हेतु अराक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी स्थल पर पेड लगे हुये है और उन्हें काटने की आवश्यकता है तो आपको वन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

16. ग्रुप हाउसिंग का वर्षा का पानी, सीवर एवं नाली के पानी का निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/ सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेंगे।

17. भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानको का पालन करना होगा।

18. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेनट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा।

प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

19. कार्य स्थल पर कार्य करने वाले लोगो की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्यस्थल पर सुरक्षाकिट के साथ ही कार्य करेगा।

20. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

21. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथ[illegible] विवरण दिया गया है, प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुम्य भू–उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावि[illegible] निर्मा[illegible] धार्मिक प्रकृति का है और उ[illegible] धार्मिक भावनाएं आहत होती हो [illegible]वित निर्माण का उपयोग लोगों की भावना[illegible] का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस– पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर [illegible]भाव [illegible]ता हो तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती [illegible] किया ग[illegible] निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है। तथा निर्माण किया गया कार्य बिना शुल्क/फीस के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुड़वाया जा सकता है। इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं0 01 से 20 तक अंकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। तदनुसार शुल्क/फीस सम्बन्धित द्वारा देय होगी।

22. स्थल पर बोरिंग करने से पूर्व भू–गर्भ जल संसाधन विभाग से जल–संशोधन का पंजीकरण कराना होगा।

23. संस्था के क्रिया–कलाप किसी सक्षम स्तर/मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर तदनुसार पालन करना होगा।

24. आवेदक के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य का अधिष्ठान पंजीयन संख्या–D16005556, दिनांक–**25.09.2022** कराया गया है। उक्त पंजीयन संख्या–**डी016005556** के क्रम में रू0 100000.00 **शब्देन एक लाख रूपये मात्र** की **आंशिक** धनराशि को **एच0डी0एफ0सी0 बैंक, गौतमबुद्ध नगर,** आगरा का चैक नं0–000723, दिनांक 27.03.2023 के रूप में जमा करा दिया गया है। यदि अन्य कोई देयता बनती है तो उसको जमा करने का समस्त उत्तरदायित्व उक्त फर्म का होगा।

25. अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र निर्माण कार्य पूर्ण होने पर **अन्तिम अनापत्ति प्रमाण** पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व उक्त फर्म का होगा।

26. पर्यावरण/प्रदूषण/वर्ड सेन्चयूरी आदि के नवीनतम आदेशों का पालन करना होगा।

दण्ड :– उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, आगरा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ–दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 1000.00 रूपये तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रूपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ–दण्ड का भुगतान न किये जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

(उमेश चन्द्र)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।

कार्यालय जिला पंचायत, आगरा।

पत्रांक : 45 /अनुभाग–02(2567)/मानचित्र/2023–24 दिनांक–: 18-4-2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपजिलाधिकारी, बाह, आगरा।
2. अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।
4. लेखाकार, जिला पंचायत, आगरा।
5. **श्री उमेश तिवारी पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी–ए. 25 एल.आई.जी. न्यू कोठी मीना बाजार के पास शाहगंज जिला–आगरा पिनकोड–282010।**
6. सहायक श्रम आयुक्त, आगरा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आगरा।

33

27

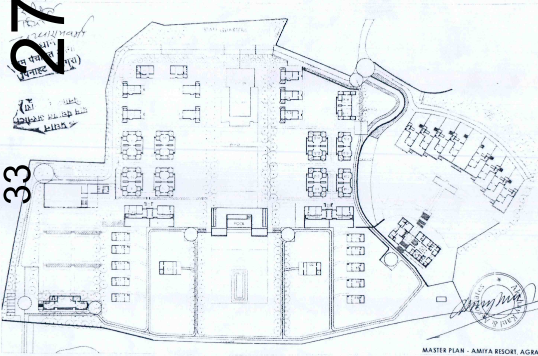

MASTER PLAN - AMIYA RESORT, AGRA

Email:roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

पत्रांक – 465 / L-270 /2024 दिनांक – 0[illegible]/08/2024

सेवा में,
अधिशाषी अभियन्ता,
लोअर खण्ड, आगरा नगर,
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 654/2024 News Item Titled " यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा है रिसार्ट" appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके कम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा प्रकरण पर रेसपॉन्स दाखिल किया जाना है। अवगत कराना है कि गाटा संख्या–978,979,981,982,983, 984,985,986,987 व 990क में मै0 श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0लि "अमिय आगरा" ग्राम–अरनौटा, मौजा–गुजरा रामजस, तहसील–बाह, आगरा द्वारा रिसार्ट का निर्माण किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि तहसील बाह क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन रिसार्ट मै0 श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0लि " अमिय आगरा" ग्राम–अरनौटा, मौजा–गुजरा रामजस, तहसील–बाह, आगरा का निर्माण उटंगन नदी के डूब क्षेत्र में किया जा रहा है अथवा नहीं के सम्बन्ध में तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

9/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

Executive Engineer → 20.8.2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

मेल आईoडी –
eeldacagra@gmail.com

पत्रांकः- 4064 /लोअर/NGT दिनांकः-12.08.2024

विषयः-मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–654 / 2024 News Otem Titled यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा है रिसार्ट appearing in Amar Ujala dated–02.05.2024 में पारित आदेश दिनांक–31.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-आपका पत्रांक–465 / L–270 / 2024, दिनांक–09.08.2024।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन सं0-14, सेक्टर-3 बी, आवास विकास, सिकन्दरा योजना, आगरा।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, विषयगत प्रकरण में चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उटंगन नदी के डूब क्षेत्र का निर्धारित नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई एवं जल संसाधन, अनुभाग–4 के पत्रांक–5077 / 19–27–सिं0–4–141(डब्ल्यू) / 2016, दिनाक-19.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि सभी नदियाँ राजस्व विभाग की सम्पत्तियाँ होती हैं, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नदियों के जल प्रबन्धन व जल उपयोग का निर्धारण सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

12/8/24

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

पत्रांकः- 4064 /लोअर/NGT/तदिनांक 12/8/24

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–प्रथम, लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा को उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के क्रम में।

12/8/24

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड आगरा नहर
आगरा

Puneet D/M

ANNEXURE R10

36 30

Email:roa[illegible]@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

पत्रांक – 466 / L-270 / 2024 दिनांक – [illegible] / 08 / [illegible]

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 654 / 2024 **News Item Titled** " यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा है रिसार्ट" **appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024** में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें निम्नवत् उल्लिखित है:–

"At the same time, a road has also been made through the forest. A paved road was built and a big gate was also installed before the river. Local people say that 7 years ago a concrete road was built through the forest and Forest Department did not take any action"

अवगत कराना है कि गाटा संख्या–978,979,981,982,983, 984,985,986,987 व 990क में मै0 श्री कान्हा इन्फ्रास्टेट प्रा0लि "अमिय आगरा" ग्राम–अरनौटा, मौजा–गुजरा रामजस, तहसील–बाह, आगरा द्वारा रिसार्ट का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा रेसपॉन्स दाखिल किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि तहसील बाह क्षेत्रांतर्गत ग्राम–अरनौटा स्थित वनभूमि में लगभग 07 वर्ष पूर्व अथवा वर्तमान में कंक्रीट रोड का निर्माण किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

9/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी

dc

ANNEXURE R11

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(पता- ताजमहल पूर्वी गेट, ताजगंज, आगरा) Email : dfoagra@gmail.com Ph. No/Fax-. (   )2331297

पत्रांक 578/141 आगरा : दिनांक: 12 अगस्त 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय अधिकारण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0नं0- 654/2024 news Item Titled" यूपी उटंगन नदी पर हो गया कब्जा, सोते रहे अफसर, तीन साल से बन रहा रिसार्ट" appearing in Amar Ujala dated 02.05.2024 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांक- 466/L-270/2024 दिनांक 09.08.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि फतेहाबाद तहसील के अन्तर्गत खण्डेर ग्राम से आमजन/कृषकों/ग्रामीणों द्वारा उटंगन नदी की ओर जाने हेतु विगत कई वर्षो से वन भूमि से गुजरने वाले कच्चे मार्ग का प्रयोग किया जाता रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिनांक 02.05.2024 का संज्ञान लेते हुए दिनांक 24.06.2024, 26.06.2024 एवं 27.06.2024 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सीमांकन कार्य किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहाबाद रेंज द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार *" मौके पर पूर्व से ही वन भूमि के अन्दर से एक कच्चा रास्ता गुजरता है जिसे कास्तकारों द्वारा कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है तथा रास्ते पर किसी भी प्रकार का कंक्रीट रोड का निर्माण नही है वर्तमान रास्ता यथावत है। "*

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- मौके के फोटोग्राफ जी0पी0एस0 सहित।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

JA
14/8/24

com-3/ Surveyer/letter-15/260

38

32

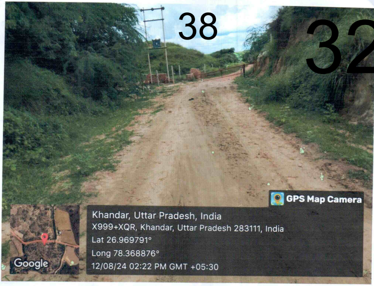
GPS Map Camera
Khandar, Uttar Pradesh, India
X999+XQR, Khandar, Uttar Pradesh 283111, India
Lat 26.969791°
Long 78.368876°
12/08/24 02:22 PM GMT +05:30
Google

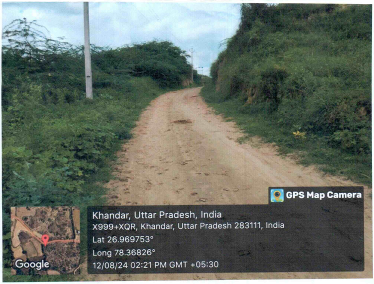
GPS Map Camera
Khandar, Uttar Pradesh, India
X999+XQR, Khandar, Uttar Pradesh 283111, India
Lat 26.969753°
Long 78.36826°
12/08/24 02:21 PM GMT +05:30
Google